

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 602

(दिनांक 02.12.2021 को उत्तर के लिए)

अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब

602. डा. सांतनु सेन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि कई भर्तियों विशेषकर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के द्वारा भर्तियों को पूरा होने में वर्षों लग जाते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या वर्ष 2017, 2018 और 2019 में अधिसूचना जारी की गई एसएससी की भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवार अभी भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं;
- (घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ.) सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को समय बद्ध तरीके से पूरा करने और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के भर्ती चक्र में सामान्यतः बहुस्तरीय परीक्षाएं शामिल होती हैं। आयोग परीक्षाओं का अपना कैलेंडर अग्रिम तौर पर प्रकाशित करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करता है कि प्रक्रिया को समय-सारणी के अनुसार और समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा सके।

तथापि, वर्ष 2017 से भर्ती चक्र को पूरा करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। वर्ष 2017 से एसएससी के परीक्षा चक्र को पूरा करने में विलम्ब हेतु तीन मुख्य कारक जिम्मेदार हैं:

- (i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 234/2018 में दिनांक 31.08.2018 के अपने आदेश के माध्यम से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई), 2017 और संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा (10+2) (सीएचएसएलई), 2017 के परिणाम की घोषणा पर स्थगन आदेश, जिसके कारण विभिन्न परीक्षाओं विशेषतः सीजीएलई और सीएचएसएलई के भर्ती चक्र में आठ महीने का विलम्ब हुआ था। स्थगन आदेश को अंतिम तौर पर दिनांक 09.05.2019 को समाप्त किया गया था।

- (ii) कुछ उम्मीदवारों द्वारा सीजीएलई, 2017 की टियर-II परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक करने/धोखेबाजी के आरोपों के कारण उम्मीदवारों द्वारा मार्च, 2018 में लगभग 20 दिनों तक प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन और तत्पश्चात आरोपों की छानबीन को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के कारण मार्च, 2018 के पश्चात मौजूदा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एसएससी की परीक्षाओं का संचालन पूर्ण रूप से रुक गया। एसएससी द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं को नए सेवा प्रदाता के चयन के पश्चात ही दिनांक 13.01.2019 से शुरू किया जा सका। एसएससी की परीक्षाओं को संचालित करने में 9 महीनों के इस अंतराल के कारण वर्ष 2018 और 2019 की श्रृंखलाओं की परीक्षाओं के पूरे चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वास्तव में वर्ष 2018 की श्रृंखलाओं की परीक्षाओं को दिनांक 13.01.2019 से ही शुरू किया जा सका।
- (iii) कोविड-19 महामारी और परिणामी तालाबंदी के कारण सभी परीक्षाओं को दिनांक 20.03.2020 से स्थगित कर दिया गया और उक्त को दिनांक 12.10.2020 से ही शुरू किया जा सका। इससे भर्ती चक्र में छह महीने से अधिक का और विलम्ब हुआ और वर्ष 2019 की श्रृंखलाओं की सभी परीक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भर्ती परीक्षाओं को दिनांक 20.04.2021 से स्थगित करना पड़ा और स्थगित परीक्षाओं को दिनांक 26.07.2021 से आगे पुनर्नियोजित किया जा सका।

आयोग द्वारा वर्ष 2017 और 2018 के परीक्षा चक्रों के अंतिम परिणाम पहले ही घोषित कर दिए गए हैं।

जहां तक वर्ष 2019 के भर्ती चक्र का संबंध है, निम्नलिखित दो परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं:

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख
1.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2019	13.11.2020
2.	मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2019	06.03.2021

(ड.): प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए कनिष्ठ स्तर के पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार को दिनांक 01.01.2016 से समाप्त कर दिया गया था। सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की रिक्तियों सहित उनकी मौजूदा रिक्तियों को समयबद्ध ढंग से भरने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए 'पूर्व चरित्र सत्यापन' की नीति में सुधार किए गए। यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि नियोक्ता प्राधिकरण अनुशंसित उम्मीदवारों से प्रमाणीकरण प्रपत्र और स्वघोषणा प्राप्त करने के पश्चात अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी करें। चरित्र और जीवनवृत्तों के सत्यापन की प्रक्रिया को छह महीनों के भीतर सम्पन्न किया जाना आवश्यक है। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उम्मीदवार द्वारा दिए गए तथ्यों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर, अनंतिम नियुक्ति-पत्र स्थायी कर दिया जाना है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 602
(TO BE ANSWERED ON 02.12.2021)

DELAY IN JOINING PROCESS OF RECOMMENDED CANDIDATES

602 DR. SANTANU SEN:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that several recruitments specially through Staff Selection Commission (SSC) takes years to complete;
- (b) if so, the details thereof and the reasons therefor;
- (c) whether the shortlisted candidates of recruitment exams of SSC for which notification was released in the year 2017, 2018 and 2019 are still waiting for joining;
- (d) if so, the details thereof and the reasons therefor; and
- (e) the details of steps being taken by Government for time bound completion of recruitment process and joining of the shortlisted candidates?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)**

(a) to (d): The recruitment cycle of the Staff Selection Commission (SSC) generally comprises of multi tier examinations. The Commission publishes its calendar of examinations in advance and makes concerted efforts to ensure that the process is completed as per schedule and in a time bound manner.

However, some delay has been caused in completion of recruitment cycle since 2017 onwards. There are three main factors responsible for the delay in the completion of examination cycle of the SSC since 2017 onwards:

- (i) A stay order on declaration of result of the Combined Graduate Level Examination (CGLE), 2017 and the Combined Higher Secondary Level Examination (10+2) (CHSLE), 2017 by Honb'le Supreme Court of India vide its order dated 31.08.2018 in Writ Petition No. 234/2018, which caused delay of more than eight months in the recruitment cycle of different examinations, especially the CGLE and the CHSLE. Stay Order was finally vacated on 09.05.2019.

Contd.P.-2/-

- (ii) There was an agitation by the candidates for about 20 days in March, 2018 due to allegations of leakages of Question Papers/ Manipulation in Tier-II Examination of CGLE, 2017 by some of the candidates. This agitation and subsequent handing over investigation of allegations to the Central Bureau of Investigation resulted in complete stoppage of conduct of examinations of the SSC after March, 2018 through the existing service providers. The Computer-Based Examinations could be started by the SSC with effect from 13.01.2019 only after selection of a new service provider. This gap of nine months in conducting examinations of the SSC impacted the entire cycle of examinations for the series of 2018 and 2019 adversely. In fact, the 2018 series of examinations could be started only with effect from 13.01.2019.
- (iii) Due to the COVID-19 pandemic and the resultant Lockdown, all examinations were postponed with effect from 20.03.2020 and the same could be started only from 12.10.2020. This further resulted in delay of more than six months in the recruitment cycle and all examinations of the 2019 series got impacted adversely. The recruitment exams had to be postponed due to 2nd wave of COVID-19 pandemic with effect from 20.04.2021 and the postponed examinations could be rescheduled with effect from 26.07.2021 onwards.

Final results of examination cycles of 2017 and 2018 have already been declared by the Commission.

As regards recruitment cycle of 2019, the final results of following two examinations have been declared:

S.No.	Name of Examination	Date of declaration of final result.
1.	Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2019	13.11.2020
2.	Multi Tasking (Non-Technical) Staff Examination, 2019	06.03.2021

(e): For time bound completion of the process, interview for recruitment at junior level posts were dispensed with effect from 01.01.2016. The Government issues instructions to all the Ministries/Departments from time to time to fill up their existing vacancies including in their attached and subordinate offices in a time bound manner.

To expedite the joining process, reforms have been made in the policy of 'prior character verification'. Instructions have been issued, that the appointing authorities may issue provisional appointment letters after obtaining the attestation form and self-declaration from the recommended candidates. The exercise of the verification of character and antecedents is required to be carried out within six months. Once the verification report is received and there is no objection on the facts given by the candidate, the provisional appointment letter is to be confirmed.
